Title: Re: High prices of gravel (Bajri) in Rajasthan.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): राजस्थान में बजरी की अत्यधिक दरों और कथित रूप से अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बजरी व्यवसाय में लगे हुए लोगों के कारण आज आम आदमी का घर बनाने का सपना तो दूर रिपेयरिंग करने का सपना भी सही से पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे राजस्थान में अधिकांश जगह एक ही समूह को कथित रूप से बजरी का ठेका मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खनन से रोक हटने के बाद बजरी ठेकेदारों द्वारा कथित रूप से 550-600 रूपये से अधिक राशि प्रति टन वसूल की जाने लगी हैं और मैं आपको उदाहरण देते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूं कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास बनाने के लिए सामग्री के लिए मिलने वाली अधिकतर राशि बजरी की खरीद में ही व्यय हो जाती है। ऐसे में उनका घर बनाने का सपना पूरा कैसे होगा यह चिंता का विषय है। बजरी खनन में सरकार के राजस्व खाते में 50 रूपये प्रति टन जमा होते हैं जिसमें 45 रूपये प्रति टन रॉयल्टी, 10% DMFT और 2% RSMET मिलाकर 50:50 रूपये का राजस्व मिलता है। लेकिन ठेकेदार द्वारा कथित रूप से 10 गुना अधिक राशि प्रति टन वसूल की जा रही है। विगत दिनों बाड़मेर के बालोतरा में बजरी की दर कम करवाने हेतु एक बड़ा आंदोलन भी किया गया लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए केंद्र सरकार इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करे और नदी-नालों के अस्तित्व को बजरी ठेकेदारों से बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हुए बजरी की दर कम करवाए व किसानों को उनकी खातेदारी में छोटी लीज के पट्टे बजरी खनन हेतु देने के लिए आवश्यक कार्यवाही कराये। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिट्टू जी, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अशोक कुमार रावत जी।